न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 24 / 2001

दायर दिनांक– 24 / 04 / 2015

निर्णय दिनांक 19/05/2015

1– श्री जीवा पिता बदिया कलासुआ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पीपलागुंज तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

--वादी--

बनाम

1– श्री धुला पिता गोमना कलासुआ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पिपलागुंज तहसील सागवाडा के मृतक के कायम मुकाम--

श्रीमती पूंजी बेवा धुला।

श्री [illegible] पिता धुला ।

1–3 श्री दीपा पिता धुला ।

[illegible] कान्ति पिता धुला।

1–5 श्रीमती अमरी पिता धुला।

1–6 श्रीमती कंकू पिता धुला कलासुआ जाति मीणा निवासी पीपलागुंज।

2–श्री प्रताप पिता लालजी रोत जाति मीणा निवासी पिपलागुंज तहसील सागवाडा मृतक के कायम मुकाम।

2–1 श्री विजयपाल पिता प्रताप।

2–2 श्री कान्तिलाल पिता प्रताप।

[illegible] श्रीमती [illegible] पत्नि स्व0 प्रताप रोत जाति मीणा निवासी पीपलागुंज ।

[illegible] लाल पिता लालजी रोत जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी [illegible] ।

[illegible] पिता [illegible] रोत निवासी पिपलागुंज मृतक के कायम मुकाम :–

4–1 श्री लक्सी पिता शंकर रोत मृतक के कायम मुकाम :–

4–1–1 श्रीमती शान्ता पत्नि लक्सी

4–1–2 श्रीमती मधु पुत्री लक्सी (पत्नि प्रताप निवासी हरवा)

4–1–3 श्रीमती लीला पुत्री लक्सी (पत्नि रतनलाल निवासी माली)

4–1–4 सुश्री इन्दा पुत्री लक्सी नावालिग की वली माता श्रीमती शान्ता ।

4–2 श्री जीवा पिता शंकर

श्री [illegible] पिता शंकर

श्री [illegible] पिता शंकर

श्रीमती [illegible] पिता शंकर

4–6 श्रीमती हाजु पिता शंकर

4–7 श्रीमती कान्ता पिता शकर रोत जाति मीणा निवासी पिपलागुंज

5 श्री गेवा पिता हुरजी कलासुआ निवासी पिपलागुंज मृतक के कायम मुकाम :–

5–1 श्रीमती लक्ष्मी पिता गेवा कलासुआ (पत्नि हलिया मीणा निवासी चारवाडा)

6– श्री मनोहर पिता सेजु कलासुआ जाति मीणा निवासी पिपलागुज ।

7– श्री विरेन्द्र पिता सेजु कलासुआ जाति मीणा निवासी पिपलागुंज ।

8– श्रीमती [illegible] पिता सेजु (पत्नि कान्तिलाल डामोर निवासी वासेला)

9– श्रीमती [illegible] पिता सेजु (पत्नि शंकरलाल अहारी निवासी वारोला)

[illegible] सुश्री अनीता पिता सेजु नावालिग की माता श्रीमती शान्ता।

11– श्रीमती नवल बेवा सेजु मृतक के कायम मुकाम :–

11–1 श्रीमती गंगा पिता सेजु (पत्नि अमरा रोत निवासी पाडला गोकलिया)

12– श्रीमती नवल बेवा सेजु कलासुआ जाति मीणा निवासी पिपलागुंज ।

13– श्रीमान तहसीलदार साहब सागवाडा ।

--प्रतिवादीगण--

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती धोषणा अन्तर्गत धारा 125 ,188 ,188

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पिपलागुंज में स्थित साविक खाता नम्बर 16 आराजी नम्बर 278 ,281 , व 304 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा सवत् 2001 के पट्टा बन्दोबस्त रियासत डूँगरपुर में वादी के पिता बदिया पिता वीरजी कलासुआ के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी नम्बर 278 281, व 304 के हाल खसरा नम्बर 294 व 334 ,333, 332, 331, 363, 440 है। सेटलमेन्ट के दौरान वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी की माता श्रीमती पानु ग्राम जोधपुरा में देवा रोत के वहाँ वादी को लेकर जाति रिवाज के अनुसार नातरे (पुर्नविवाह) कर चली गई वादी की उम्र 4–5 साल थी वादी को नाबालिग अवस्था में अपने साथ ले गई एवं वादग्रस्त भूमि अपने देवर जेठ को सुपुर्द कर नातरे चली गई ।

वादी के पिता बदिया के खाते की आराजीयात प्रतिवादीगण नम्बर 3 द्वारा बिना सेटलमेन्ट किसी दस्तावेज या अधिकारी के पृथक–2 अपने खाते दर्ज करवा ली ,जब कि वादी की माता के नाते जाने से वादी का हक हिन्दू उत्तराधिकार के तहत समाप्त नही हो जाता है। वादी अपने पिता का एक मॉग पुत्र होने के कारण बदिया की सभी आराजियात को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी नं.1 धुला पिता गोमना के अपने जवाब दावे में वाद वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने विरूद्ध डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी नं 2,3,4,5,6,8,11,12 ने अपने जवाब दावे में मौजा पिपलागुंज में विवादग्रस्त आराजियात का होना स्वीकार किया ,परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान वादी के पिता श्री बदिया की मृत्यु के तथ्य को अस्वीकार कर कहा कि बदिया ने आपस में आराजियात शंकर वल्द थावरा ने अपने कब्जे काश्तकारी जमीन तेजा ,प्रताप, हरिया पिता लालजी मीणा के हक में कर दी थी व तभी से गत 50 वर्ष से उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है, व वादी उसके जीवनकाल में कभी भी गॉव पिपलागुंज में खेती करने नही आया है अतः उसका कोई हिस्सा व हक आराजी पर नहीं है, अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

उपरोक्तानुसार वाद एवं उसका जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार वादबिन्दु कायम की गईः–

1- क्या वादग्रस्त आराजियात साविक बन्दोबस्त में वादी के पिता के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण का नाम हटा, अपने नाम दर्ज कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है?

–वादी

2- क्या वादी द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक अनुसार वाद की कलम नं 05 में वर्णित आराजियात वाद की कलम नं 02 के अनुरूप सही है?

--प्रतिवादीगण–

3–क्या प्रतिवादीगण के नाम भूमि बिना किसी सक्षम दस्तावेज या अधिकार के खाते दर्ज हुई है। जिसमें ऐसे इन्द्राज को हटवाने का वादी अधिकारी है?

–वादी

4–क्या वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता की सहमति से प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है व 1956 से ही उनका उस पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है?

–प्रतिवादीगण

5–क्या वादी द्वारा जवाबदावा की कलम नं 06 के अनुसार प्रतिवादीगण [illegible] चलने योग्य नही है?

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

... वाद अन्दर वाद है? --प्रतिवादीगण--

7. ...दरजी । (वादी / प्रतिवादीगण)

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम कर उपखण्ड न्यायालय सागवाडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 32/91 निर्णय दिनांक 13/03/1995 बाद वादी डिक्री किया गया जिसकी अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर में अपील करने पर उनके प्रकरण संख्या 32/95 निर्णय दिनांक 30/12/95 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सागवाडा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/03/95 निरस्त किया गया। राजस्व अपील अधिकारी महोदय डूंगरपुर के निर्णय दिनांक 30/12/95 की अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में होने पर खण्डपीठ के आदेश दिनांक 13/02/2001 से भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक ... 02/96 व एसडीओं सागवाडा के निर्णय व डिकी दिनांक 13/03/95 को अपास्त कर पुनः अनवीक्षण के लिये पत्रावली प्रतिप्रेषित करने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान द्वारा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त साक्ष्य भी गई ।

वादी की ओर से वादी स्वंय जीवा पिता बदीया ,गेबा पिता हुरजी ,मकना पिता ...जी मीणा निवासी पिपंलागुंज के बयान करवायें गयें।

वादी जीवा ने अपने बयान में बतलाया कि पिपलागुंज में मेंरी 8 1/2 बीघा जमीन है जो पिता बदिया के नाम दर्ज थी जिसका खाता संख्या याद नहीं है पिता की मृत्यु के समय उम्र 2–3 वर्ष रही होगी,माता का नाम पानू है जो पिता की मृत्यु के पश्चात देवा राम जोधपुरा के वहां नाते गई ,नाते वक्त मुझे मेंरी मां साथ ले गई थी ,नाते जाने पर वादग्रस्त भूमि मेंरी बाबा श्री हुरजी को कमाने व वराड जमा कराने दी गई थी । सेजू की मृत्यु हो चुकी है। मेंरे बाबा श्री हुरजी ने उक्त जमीन शंकर पिता थावरा पिपलागुंज का दे दी। हुरजी ने शंकर को भूमि बेचान नहीं की थी कमाने दी थी। शंकर पिता थावरा ने हरलाल मास्टर को वादग्रस्त भूमि वेच दी। शंकर ने खाता अपने नाम हमारी सहमति से नही कराया है हम उसमें सम्मिलित नही है बदिया का मैं एक मात्र पुत्र हुं मै जब बालिग हुआ तब मुझे जमीन ... से मैं काश्त नही कर पाया हुँ मै खेडनें नही गया हु। पटवारी साहब से जानकारी ... पर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाना ज्ञात हुआ , राजस्व रेकार्ड पेश किया है जो नक्शा ट्रेस EXP-1 विकय बन्दोबस्त संवत् 2001 EXP-2 जिसकी फोटोकॉपी EXP-2 (A) है। फर्द तुलनात्मक EXP-3 जिसकी फोटोकॉपी EXP-3 (B) है। जमाबन्दी सवत 2044 से 2048 की EXP-4 जमाबन्दी सवत् 2044 की EXP-5 जमाबन्दी सेजू की EXP-6 जमाबन्दी शंकर EXP-7 जमाबन्दी गेबा EXP-8 पेश की है। प्रतिवादी धुला ,नवल एवं सेजू की मृत्यु हो चुकी है । जीरह में बतलाया कि वादग्रस्त भूमि पर मुझे कभी काश्त नही करने दिया ... दामडी चला आया था वहीं मर गया। हुरजी को जमीन काश्त करने दे दिया था हुरजी के लडके का नाम गेबा था। जमीन शंकर व थावरा ,सेजू पिता प्रताप ... गेबा पिता हुरजी के खाते पड गई ,मेंरी माता मुझे जोधपुरा नाते साथ ले गई थी ,वादग्रस्त भूमि पर हरलाल काश्त कर रहा है प्रतिवादीगण पहले से ही कमा रहे है मेंरे पिताजी मेंरे ... से पहले दामडी चले गये थे। मेरा जन्म दामडी में हुआ है।

वादी के गवाह गेबा पिता हुरजी कलासुआ ने बयान कर बतलाया कि वादी के पिता का नाम बदिया पिता वेलजी कलासुआ को जानता है । बदिया भाई की जमीन गांव पिपलागुंज में थी करीब आठ बीघा जमीन बदिया के नाम में थी । बदिया ... पुत्र जीवा की उम्र चार पांच वर्ष की थी । बदिया के मरने के बाद उसकी पत्नि ... नाते गई। बदिया की पत्नि के चले जाने के बाद उसका हक का खेत ...

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

[illegible] के पास था मेंरे पास जो खेत था वह जीवा को वापस दे दिया । वह मेंरें काका का [illegible] था. बदिया भाई के एक ही लडका जीवा है एक खेत लालजी के पास था जो खेत [illegible] लालजी ,शंकर व अन्य के पास है। वह खेत जीवा के है। बदीया के मरने के बाद [illegible] पत्नि ने पिपलागुंज की जमीन का बेचान नहीं किया । जीरह में बतलाया कि बदिया की मृत्यु हुई उस समय उसकी उम्र 20–25 वर्ष की थी, उसे मरें 15–20 वर्ष हुए है बदिया की मृत्यु के पहले आठ बीघा जमीन मुझे व शंकर को सुपुर्द्ध कर गया था। हमे कमाकर वराद उसे देने की शर्त थी । मैने जीवा को खेत सुपुर्द्ध किया उसे दस वर्ष हो गये ,हरिलाल को खेत बेच दिया है, इसलिये वह कमाता है ।

वादी के गवाह मकान पिता धुलजी मीणा निवासी पिपलागुंज ने बयान मे बतलाया कि बदिया 40–50 साल पहले फोत हो गया है बदिया मरा तब जीवा 3 वर्ष का था [illegible] की जमीन पिपलागुंज में थी जो 8.06 बीघा लगभग थी। बदिया विवादित भूमि पर [illegible] करते थे बदिया के मरने के बाद उसकी पत्नि नाते चली गई यह जमीन जेठ हुरजी [illegible] अनरा ,शंकर वगेरा को देकर गई थी। कह गई थी कि जीवा वापस आए तब उसे दे [illegible] । उसकी जीवा के पास दो खेत जीव व धुला वाले है शेष भूमि शंकर के पास है शंकर के पास बदिया के खेत है अब उस जमीन पर जीवा मालिक है जीरह में बतलाया कि जीवा का पिता बदिया मरा तब उसकी उम्र करीब 40–45 वर्ष की थी ,बदिया सेटलमेंन्ट होने से पहले मरा था । शंकर ,बदिया का चचेरा भाई होता है विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय जिस जिसका कब्जा था उसके खाते की ऐसा प्रतिवादी ने कराया हो तो वह जाने।

प्रतिवादी की ओर से गवाह श्री हरलाल पिता लालजी मीणा ,शंकर पिता थावरा मीणा व हीरजी पिता सोमा मीणा के बयान करवाये गये।

प्रतिवादी के गवाह हरलाल पिता लालजी ने अपने बयान में बतलाया कि मेरी जमीन पिपलागुंज में हे मैने रजिस्ट्री से गॉव पिपलागुंज की जमीन खसरा नं 331 रकबा 0.15 भूमि आधी जमीन खरीदी है रजिस्ट्री दिनांक 12/03/78 को करवाई है रजिस्टी के जरिये यह भूमि मेंरे खाते दर्ज हुई है मैने यह जमीन शंकर पिता थावरा से क्रय की थी उस दिनांक से ही इस पर मेंरा काश्त कब्जा है मेंरे सेटलमेन्ट खसरा नं 93 है यह भूमि फर्द नामान्तरण इन्द्राज से शंकर के नाम दर्ज हुई थी ,जिसकी प्रति पैसे पेश की है जो EXD-1 है यह भूमि [illegible] प्रताप और हरिया के नाम दर्ज हुई । शंकर को यह भूमि उसके पैतृक सम्पत्ति से [illegible] फर्द तुलनात्मक इसी जमीन का है जो EXD-2 है। वाद वर्णित भूमि की गिरदावरी नकल पेश की है जो EXD-3 व EXD-4, EXD-5, EXD-6, EXD-7, EXD-8, EXD-9, है जमाबन्दी नकल भी पेश की है। जो EXD-10 है। जमाबन्दी EXD-11 भी पेश की है। रजिस्ट्री की नकल असल से मिलान की जो EXD-38A है। इस जमीन पर श्री शंकर ,हरलाल ,प्रताप ,मनोहरलाल काश्त करते है। वादीगण ने कभी जीवा की इस भूमि पर काश्त नहीं की वादी जीवा पीछले तीन साल से देखा है। पहले कभी नही देखा । जीरह से बतलाया कि यह गलत है कि जीवा गत बीस वर्ष से पिपलागुंज में रहता है। मैने बदिया पिता हीरजी को कभी नही देखा । यह गलत है कि जीवा बदिया का पुत्र है। मै जन्म से पिपलागुंज मे रहता है बदिया व शंकर का भाई होने की बात गलत है। जमीन शंकर थावरा के नाम उसके पिता से आई है। EXD-1 मे से पेश की है इसमें A to B और C to D लिखा है। E to F भी लिखा है एवं G to H भी लिखा है। यह गलत है कि बदिया पिता हीरजी ग्राम पिपलागुंज का रहने वाला हो मेरी जानकारी में नही है। मेरे 10 बीस्वा जमीन है। यह बात सही है कि जीवा पिपलागुंज में रहता है उसकी मृत्यु 1987 में हुई है। शंकर पिता थावरा से विवादग्रस्त जमीन मे से 15 बीस्वा जमीन रजिस्ट्री के आधार पर है। उसका नम्बर 331 है। यह गलत है कि वादी विवादग्रस्त भूमि पर अब भी काश्त करता है।

अखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी शंकर पिता थावरा भील निवासी पिपलागुंज ने अपने बयान में बतलाया कि बदिया पिता वीरजी से जमीन मेंरे पिता ने लेकर मेरे खाते पडवाई थी । ये तीन खेत है और खेती में करता हुँ। मै पंचास वर्ष से खेती करता हुँ जीवा वादी ने उसके जीवनकाल में कभी भी खेती नही की है। जीवा जोधपुरा चला गया। उसकी मॉ के साथ चला गया मॉ नातरे चली गई। 18 वर्ष पूर्व में से हरलाल को बेची जो रजिस्ट्री EX-38A है। पिपलागुंज में वादी को कभी भी खेती करने हुए नही देखा है जब से समझदार हुआ हुँ तब से कब्जा मेरा है। खाता नम्बर D39A फोटो कॉपी पेश है बदिया दामडी आकर मर गया । दो तीन साल से वादी आकर रह रहा है। जब से दावा किया तब से रह रहा है । जीरह में बतलाया कि मेंरी उम्र 65 वर्ष की है मैं पढा लिखा नही हुँ। जीवा बदिया का लडका है। ये मैं नहीं जानता जीवा किसका लडका है ये नही जानता । यह गलत है कि वादी 10–15 वर्ष से गॉव पिपलागुंज में रहता है। मैं 50 वर्ष से खेती करता हुँ। मेंरे पास तीन खेत है उसमे पोना बीघा बेचा है। मेंरे तीन खेत 6बीघा के है। 18 वर्ष पूर्व रजिस्ट्री करवाई थी। कौनसा सन् था मालुम नही है। मैं 15 वर्ष का था तब मेंरा खाता पडा, मैं से हरलाल को खेत 600/– में बेच दिया है। मेंरे पिताजी पिपलागुंज के थे।

प्रतिवादी गवाह वीरजी पिता सोमा मीणा निवासी पिपलागुंज के अपने बयान में बतलाया कि पक्षकारान मुकदमा को जानता है. जीवा के पिता का नाम बदिया था। बदिया थावरा को जमीन देकर गया । जो प्रतिवादी शंकर का पिता था । वह तीन खेत 35 वर्ष पूर्व देकर गया। शंकर के नाम का खाता बदिया ने करवाया। शंकर का पिता थावरा जिन्दा थे वह भी खाता करवाने में मौजूद था। विवादित आराजियात की काश्त शंकर करता है। शंकर ने हरलाल को खेत बेचा है खेती हरलाल ही करना है जीवा की उम्र 40 वर्ष है जीवा ने उसके जीवनकाल में कभी खेती नही की है वह खेत कीधर है वह भी नही जानता है जीवा 2–3 साल से पिपलागुंज आकर रहता है अभी काश्त कब्जा शंकर का ही है और जमीन शंकर के खाते में है बदीया जमीन देकर वापस चला गया।

जीरह में बतलाया जीवा बदिया का एक लडका है उसने जमीन के बारे में अभी झगडा किया तब पता लगा गॉव के पंच इकट्ठें किया और दावा किया । बदिया के बाप का नाम मालूम नही है बदिया दामडी से आया हुआ है 35 वर्ष पूर्व खाते करवा कर चला गया था।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान की शहादत लेकर वकील पक्षकारान की बहस सनाई गई। वकील वादी ने बहस में बतलाया कि वादग्रस्त भूमि मौजा पिपलागुंज में स्थित खातेदारी खाता नं 16 आराजी न 278, 281, 304, कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 6बीस्वा संवत 2001 बन्दोबस्त रियासत डूंगरपुर में वादी के पिता बदिया पिता वीरजी कलासुआ के नाम दर्ज थी । जिनका हाल खं.सं 294,334,333,332,331,363,440 है। सेटलमेन्ट के दौरान वादी के पिता मृत्यु के पश्चात वादी की माता श्रीमती पानु उपरोक्त भूमि देवर जेठ को सुपुर्द कर वादी जब 3--4 वर्ष का था, को लेकर जोधापुरा देवा रोत के यहा नातरे चली गई । वादी के पिता के खाते की भूमि प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट बिना किसी दस्तावेज अधिकार के पृथक–2 अपने खाते दर्ज करवा ली । जबकि वादी की माता के नाते जाने से वादी का हक हिन्दू उत्तराधिकार के तहत समाप्त नही हो जाता है। वादी अपने पिता का एक मात्र पुत्र होने से मृतक बदिया की सभी आराजीयात को अपने नाम करवाने का अधिकारी है अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जावें।

वकील प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजीयात पिपलागुंज मे होना स्वीकार कर सेटलमेन्ट के दौरान वादी के पिता श्री बदिया की मृत्यु को अस्वीकार कर बदिया ने अपनी सहमति से उक्त आराजीयात शंकर पिता थावरा को अपने कब्जे काश्त की जमीन तथा प्रताप,हरिया पिता लालजी के हक में कर दी थी तभी से गत 50 वर्ष से उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है वादी उसके जीवनकाल में कभी भी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

पेटलागुज में खेती करने नही आया है उसका कोई हिस्सा व हक आराजी पर नही है वादग्रस्त भूमि का लगान भी प्रतिवादीगण द्वारा अदा किया गया । वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त कब्जा नही रहा है। अतः वाद वादी खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस समाप्त तनकीयात निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है :

1 वादग्रस्त आराजीयात साबिक बन्दोबस्त में पिता के नाम दर्ज थी किन्तु प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य से वादी के पिता ने जीतेजी आपसी सहमति से भूमि प्रतिवादीगण हक में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, प्रतिवादीगण पंचास वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर लगान भी प्रतिवादीगण द्वारा गया करवाने से वादी भूमि अपने नाम दर्ज कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2--आदेश दिनांक 12/10/2010 से संशोधन होने से कलम नं 05 में वर्णित आराजीयात वाद के कलम नं 02 अनुरूप सही हो जाने से यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

3 वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का गत पंचास वर्षो से काश्त कब्जा है इस सम्बन्ध में निर्णय तनकी सं 01 में किया चुका है तदनुसार वादी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

4--वाद में प्रस्तुत जवाब एवं गवाहों के बयान अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता की सहमति से प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण का कब्जा 1956 से ही चला आ रहा है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

5--संशोधित अनवान प्रस्तुत कर दिनांक 30/07/2013 को सभी आवश्यक पक्षकार जोड़ दिये गये है। अतः तनकी बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

6 वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत नही होने बाबत प्रतिवादी की ओर से कोई कानूनी नजीर प्रस्तुत नही की अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

7--दादरसी ।

उपरोक्त विवेचन से तनकी नम्बर 1,2,3,4 बहक प्रतिवादी एवं तनकी नं 5 व 6 बहक वादी निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाकर वादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह प्रतिवादी के उक्त आराजीयात के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(दी...) उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

सागवाड़ा

Scanned by CamScanner